राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़
भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषयः– **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 16/06/2022 को संपन्न 410वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

----00----

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 410वीं बैठक दिनांक 16/06/2022 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:–

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. श्री कलदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: **408वीं एवं 409वीं बैठक क्रमशः दिनांक 24/05/2022 एवं 25/05/2022 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 408वीं एवं 409वीं बैठक क्रमशः दिनांक 24/05/2022 एवं 25/05/2022 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति/ टीओआर/ अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. **मेसर्स राशि स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड (बेलटुकरी डोलोमाईट क्वारी), ग्राम–बेलटुकरी, तहसील–मस्तुरी, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1952)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 258893/2022, दिनांक 01/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बेलटुकरी, तहसील–मस्तुरी, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक – 331/1, 331/2, 331/4, 331/5, 331/8, 331/9, 331/10, 331/11, 332/4, 333, 335/1, 335/2, 335/3, 336/1, 336/2, 336/3, 336/5, 336/6, 336/7, 336/9, 336/10, 336/11 एवं 339/2, कुल क्षेत्रफल–4.107 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 1,99,992 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 410वीं बैठक दिनांक 16/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनोज कुमार सागर, प्रोपराईटर एवं श्री धनंजय चौबे, डॉयरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बेलटुकरी का दिनांक 12/03/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो अतिरिक्त संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 307–10/माईनिंग–2/क्यू.पी./एफ.नं. 11/2021 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21/01/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 3331/ख.लि./न.क्र. 24/2022 बिलासपुर, दिनांक 23/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 3331/ख.लि./न.क्र. 23/2022 बिलासपुर, दिनांक 23/02/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय

राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है। नाला 50 मीटर दूर है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई., छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक एफ 2–2/2017/12 नवा रायपुर, दिनांक 08/09/2021 द्वारा "उत्खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत् खनन कार्य हेतु आवश्यक पर्यावरण अनुमति प्राप्त कर इस विभाग को प्रस्तुत करें।" शर्तों के अधीन जारी की गई है।

7. **भू–स्वामित्व** –

खसरा नंबर	भू–स्वामित्व	खसरा नंबर	भू–स्वामित्व
331/1	जे.एम.कोल बेनीफिकेशन एण्ड पॉवर प्रा.लि.	335/1	राशि स्टील एण्ड पॉवर लि.
331/4		335/3	
333		336/1	
331/5		336/2	
331/8	राशि स्टील एण्ड पॉवर लि.	336/3	
331/9		336/5	
331/10		336/6	
331/11		336/7	
335/2		336/9	
331/2	श्री संतकुमार	336/10	
332/4	श्री संतराम	336/11	
		339/2	

उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों (जे.एम.कोल बेनीफिकेशन एण्ड पॉवर प्रा.लि., संतकुमार एवं संतराम) के सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमंडलाधिकारी, बिलासपुर वनमंडल जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./4315 बिलासपुर, दिनांक 06/09/2013 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। चूंकि उक्त जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी की स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। लीज सीमा से अचानकमार टाईगर रिजर्व की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी उपसंचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बेलटुकरी 1.2 कि.मी., स्कूल ग्राम–बेलटुकरी 1.2 कि.मी. एवं अस्पताल जयरामनगर 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 19 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा *10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय* प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 24,23,525 टन एवं माईनेबल रिजर्व 12,22,650 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 7,344 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में 4,240 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 50 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	59,982
द्वितीय	1,29,974
तृतीय	1,39,997
चतुर्थ	1,49,994
पंचम	1,99,992

13. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 13,260 घनमीटर है, जिसमें से 7,300 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग एवं शेष 5,960 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के समीप स्थित भूमि (खसरा क्रमांक 327) में भंडारण किया जाएगा। ओव्हर बर्डन की मोटाई 1 से 1.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 21,442 घनमीटर है, जिसमें से 550 घनमीटर ओव्हर बर्डन को पूर्व से उत्खनित सीमा पट्टी (7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में पुनःभराव एवं 10,550 घनमीटर ओव्हर बर्डन को गैर माईनिंग क्षेत्र में भंडारण एवं शेष 10,362 घनमीटर ओव्हर बर्डन को लीज क्षेत्र के समीप स्थित भूमि (खसरा क्रमांक 336/4, 335/3) में भंडारण किया जाएगा।

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं की गई है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 75,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,53,750 रूपये तथा खाद, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 82,000 रूपये इस प्रकार कुल राशि 4,10,750 रूपये

प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव आदि के लिए कुल राशि 60,000 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 7,344 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 220 वर्गमीटर क्षेत्र 2 मीटर एवं 714 वर्गमीटर क्षेत्र 2 मीटर की गहराई तक पूर्व से उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौडी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

17. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक viii (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
75	2%	1.5	Following activities at Nearby Govt. Primary & Middle School, **Village- Beltukari**	
			Rain water harvesting system	1.40
			Plantation (30 No's)	0.10
			Total	**1.50**

19. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

20. यदि परियोजना प्रस्तावक शेष ऊपरी मिट्टी मात्रा 5,960 घनमीटर एवं ओव्हर बर्डन मात्रा 10,362 घनमीटर को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित स्थल में भण्डारित करना चाहता है तो समिति का मत है कि उक्त ऊपरी मिट्टी एवं ओव्हर बर्डन को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी एवं ओव्हर बर्डन का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी एवं ओव्हर बर्डन का उपयोग पुनःभराव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

21. परियोजना प्रस्तावाक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि नाला एवं खदान बाउण्ड्री के मध्य की भूमि मेसर्स राशि स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड के नाम पर है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को उक्त भूमि पर वृक्षारोपण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा विस्तृत प्राक्कलन सहित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः—

1. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए। साथ ही लीज सीमा से अचानकमार टाईगर रिजर्व की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी उपसंचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

2. भू—जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत की जाए।

3. सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख—रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

4. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

5. खदान की लीज सीमा से ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित करने हेतु भूमि कितनी दूरी पर स्थित है? के संबंध में नक्शे में दर्शाते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए।

6. शेष 5,960 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के समीप स्थित भूमि (खसरा क्रमांक 327) एवं शेष 10,362 घनमीटर ओव्हर बर्डन को लीज क्षेत्र के समीप स्थित भूमि (खसरा क्रमांक 336/4, 335/3) में भंडारण किये जाने हेतु उक्त खसरा के भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए। साथ ही ऊपरी मिट्टी एवं ओव्हर बर्डन को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी एवं ओव्हर बर्डन का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी एवं ओव्हर बर्डन का उपयोग पुनःभराव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

7. नाला एवं खदान बाउण्ड्री के मध्य की भूमि पर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् विस्तृत प्राक्कलन प्रस्तुत किया जाए। तदानुसार वृक्षारोपण करने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

2. **मेसर्स लैण्डमार्क रॉयल इंजीनियरिंग (आई) प्राईवेट लिमिटेड (प्रो.– श्री वरूण जैन), ग्राम–चिरचारीकला, तहसील–छुरिया, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1953)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 258135/2022, दिनांक 02/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 08/03/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 24/03/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–चिरचारीकला, तहसील–छुरिया, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 1031/1 (पार्ट), 1031/2, 1033 (पार्ट), 1036/1, 1036/3 (पार्ट), 1036/5 (पार्ट), 1036/7, एवं 1036/9, कुल क्षेत्रफल–1.121 हेक्टेयर मे प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 20,000 टन (10,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 410वीं बैठक दिनांक 16/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अजय पटेल, अधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – क्रशर एवं उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत चिरचारीकला का दिनांक 06/02/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान (एलौंगविथ इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान एंड क्वारी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 642/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क.05/2019(4) नवा रायपुर, दिनांक 16/02/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 456/ख.लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 07/03/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 456/ख.लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 07/03/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. का विवरण** – भूमि आवेदक के नाम पर है। एल.ओ. आई. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1784/ख.लि. 02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 23/10/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमंडल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.चि./न.क्र. 10–1/2021/1868 राजनांदगांव, दिनांक 26/02/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 950 मीटर की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–चिरचारीकला 1 कि.मी., स्कूल एवं अस्पताल ग्राम–चिरचारीकला 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 4.5 कि.मी. दूर है। तालाब 500 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 4,03,560 टन एवं माईनेबल रिजर्व 93,498 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,916 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 19 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,000 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र मे क्रशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 1,780 वर्गमीटर है। वर्तमान में क्रशर संचालित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु

प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	10,000
द्वितीय	20,000
तृतीय	20,000
चतुर्थ	18,000
पंचम	18,000

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,200 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 1,48,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 80,000 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 1,00,000 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,80,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 5,08,000 रूपये 5 वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.6	Following activities at nearby, **Village- Chircharikala**	
			Plantation	0.85
			Total	**0.85**

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण (आम) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 110 नग पौधों के लिए राशि 16,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 25,000 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 20,000 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 85,500 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत चिरचारीकला के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 1030, क्षेत्रफल 0.036 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य

(ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 456/ख. लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 07/03/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–चिरचारीकला) का क्षेत्रफल 1.121 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स लैण्डमार्क रॉयल इंजीनियरिंग (आई) प्राईवेट लिमिटेड (प्रो.– श्री वरूण जैन) की ग्राम–चिरचारीकला, तहसील–छुरिया, जिला–राजनांदगांव के खसरा क्रमांक 1031/1 (पार्ट), 1031/2, 1033 (पार्ट), 1036/1, 1036/3 (पार्ट), 1036/5 (पार्ट), 1036/7 एवं 1036/9 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.121 हेक्टेयर, क्षमता – 20,000 टन (10,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स कलकसा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री परेश कुमार), ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 930)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 40346/ 2019, दिनांक 31/07/2019 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 40346/ 2019, दिनांक 02/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक–254, कुल क्षेत्रफल–1.214 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–20,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/04/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर

ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 410वीं बैठक दिनांक 16/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जितेन्द्र जोगेवार, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री जगमोहन चन्द्रा उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट, कोलकाता द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट द्वारा अपरिहार्य कारणों से आवेदित प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही को जारी रखने में असक्षमता व्यक्त की गई। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा अण्डरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात् मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed and verified) कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। आवेदित प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का उत्तरदायित्व मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन का होना बताया गया।
2. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
   ii. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1638/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 27/06/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्खनन (टन)
जनवरी 2006 से दिसंबर 2006 तक	निरंक
जनवरी 2007 से दिसंबर 2007 तक	250
जनवरी 2008 से दिसंबर 2008 तक	2,000
जनवरी 2009 से दिसंबर 2009 तक	1,250
जनवरी 2010 से दिसंबर 2010 तक	निरंक
जनवरी 2011 से दिसंबर 2011 तक	4,000
जनवरी 2012 से दिसंबर 2012 तक	500
जनवरी 2013 से दिसंबर 2013 तक	निरंक
जनवरी 2014 से दिसंबर 2014 तक	2,000
जनवरी 2015 से दिसंबर 2015 तक	1,000

3. *ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र* – *उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत* बल्देवपुर का दिनांक 31/08/2005 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान (विथ इन्वायरोन्मेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर ज्ञापन क्रमांक 3970/खनि 02/मा.प्ल. अनुमोदन/न.क.05/2019 नवा रायपुर, दिनांक 16/09/2020 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान**– कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 4266/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 31/10/2020 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 13 खदानें, क्षेत्रफल 13.341 हेक्टेयर है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/1712/ख.लि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 10/07/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, पुलिया, स्कूल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। पूर्व में लीज श्री परेश कुमार के नाम पर थी। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 03/11/2005 से 02/11/2015 तक की अवधि हेतु थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/1013/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 11/06/2020 द्वारा "छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय का आदेश दिनांक 12/05/2020 अनुसार गौण खनिज चूना पत्थर के उत्खनिपट्टा के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 22/12/2014 के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 यथा संशोधित के नियम 38 क के अनुसार गुणदोष के आधार पर निराकरण किया जाना है। संचालनालय द्वारा पट्टा अवधि विस्तार हेतु जारी निर्देश दिनांक 06.06.2016, के अनुसार नियम 38 (क) के तहत् नौकरण आवेदन एवं पर्यावरण सम्मति के अवभाव में अवधि विस्तार पूरक अनुबंध निष्पादन नहीं किया जा सकता। अतएव पर्यावरण सम्मति प्राप्त कर इस कार्यालय मे प्रस्तुत करें।" का उल्लेख है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./न.क. 25/2355 खैरागढ़, दिनांक 07/07/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 4.1 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कलकसा 0.9 कि.मी. स्कूल ग्राम–बल्देवपुर 1.3 कि.मी. एवं अस्पताल खैरागढ़ 7.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.2 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 7,28,400 टन, माईनेबल रिजर्व 2,82,156 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 2,58,928 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,198 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 31 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 6,720 घनमीटर है, जिसमें से 3,100 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में तथा शेष 3,620 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 525/5) में भंडारित कर संरक्षित रखा जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 13 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	20,000
द्वितीय	20,000
तृतीय	20,000
चतुर्थ	20,000
पंचम	20,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति बोरवेल से की जाती है। इस बाबत् भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 775 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 15,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,26,400 रूपये, खाद के लिए राशि 5,820 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,80,400 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 3,28,120 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 4,85,632 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,198 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 3,200 वर्गमीटर क्षेत्र 1.5 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन

है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण** :-

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2020 से दिसम्बर 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 11 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 10 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल**:-

Concentration level ($\mu g/m^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum ($\mu g/m^3$)**	**Maximum ($\mu g/m^3$)**	**CPCB Standard ($\mu g/m^3$)**
$PM_{2.5}$	25.32	44.77	60
PM_{10}	47.22	67.15	100
SO_2	7.24	14.68	80
NO_2	11.31	20.33	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता**:- ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर**:-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	47.89	54.87	75
Night L_{eq}	32.1	46.21	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणना**:- भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार

वर्तमान में 48 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.043 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 9 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 57 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.05 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent) के भीतर है।

18. लोक सुनवाई दिनांक 15/09/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत भवन कलकसा, ग्राम–कलकसा तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 03/11/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वृक्षारोपण का कार्य अतिशीघ्र करने की कृपा करें। लीज समाप्त होने के बाद खदान को खुला ही छोड देते हैं तो उस खदान के चारो तरफ तार काटो का घेरा किया जाना चाहिए। पूर्व में खदान में 5–7 जानवर गिर चुके हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है।

ii. हैवी ब्लास्टिंग से पत्थर के टुकड़ें के खेत में चले जाते हैं एवं ब्लास्टिंग के पूर्व किसी प्रकार से सुचना नही दी जाती हैं, जिससे खेत मे कार्यरत मजदूर शारीरिक क्षति होती है।

iii. खदान के खुलने से पूर्व निर्मित बांध समाप्त हो चुके है। जिस कारण खेतो में पानी नही पहुँच पाता। गांव में सिचाई हेतु एकमात्र साधन 2 बांध है। खदान होने से बांध का पानी नहीं रूकता है। नाली बना नही है, नाली जो बना हुआ था वो टूट चुका है। दोनों बांध में पानी है। अतः नाली को बनवाने का काम किया जाए।

iv. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए। साथ ही ग्राम के निवासियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. प्रदूषण का मुख्य कारण धूल उत्सर्जन है, जिसे रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा। खदान के चारो ओर तथा कच्ची सडक के किनारे वृक्षारोपण किया जाएगा जिससे धूल का उत्सर्जन कम हो जाएगा। खदान को चारो तरफ से कटीले तारों से घेरा जाएगा जिससे की जानवर खदान में ना गिरे।

ii. अनुभवी कांट्रेक्टर की निगरानी में ही कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग किया जाएगा, ब्लास्टिंग निम्न स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। ब्लास्टिंग के पूर्व हुटर बजाकर लोगो को सुचना दी जाएगी।

iii. हमारे द्वारा नालियों का जीर्णोद्धार किया जाएगा तथा खदान में जो पानी भरा हुआ है उसे भी सिंचाई के लिए प्रदान करेंगे।

iv. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। ग्रामिणों के लिए समय समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा।

20. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 14 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
3.7 कि.मी. मार्ग के दोनों तरफ (2,467 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	49,340	4,940	4,940	4,940	4,940
	फेंसिंग हेतु राशि	34,76,700	–	–	–	–
	खाद, सिंचाई एवं रख– रखाव हेतु राशि	5,94,072	3,41,812	3,41,812	3,41,812	3,41,812
कुल राशि		**41,20,112**	**3,46,752**	**3,46,752**	**3,46,752**	**3,46,752**

कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
300 मीटर मार्ग के दोनों तरफ (200 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	4,000	400	400	400	400
	फेंसिंग हेतु राशि	2,90,000	–	–	–	–
	खाद, सिंचाई एवं रख– रखाव हेतु राशि	2,02,700	1,68,470	1,68,470	1,68,470	1,68,470
कुल राशि		**4,96,700**	**1,68,870**	**1,68,870**	**1,68,870**	**1,68,870**

21. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर मे शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर मे आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कड़ाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

22. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
49.45	2%	1.0	Following activities at nearby, Village-Kalkasa	
			Pavitra Van Nirman	10.14
			Total	10.14

23. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 800 नग पौधों के लिए राशि 16,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,66,100 रूपये, खाद के लिए राशि 6,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,72,800 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,60,900 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 6,53,920 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बल्देवपुर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 153, क्षेत्रफल 0.46 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

24. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही शपथ पत्र में इस आशय का भी उल्लेख किया जाये कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर उक्त संरक्षित मिट्टी का निरीक्षण भी कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी उपयोग पुनःभराव कार्य में किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर उक्त संरक्षित मिट्टी का निरीक्षण भी कराया जाएगा।

2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

5. जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायत "खदान के खुलने से पूर्व निर्मित बांध समाप्त हो चुके है। जिस कारण खेतों में पानी नहीं पहुँच पाता। गांव में सिंचाई हेतु एकमात्र साधन 2 बांध है। खदान होने से बांध का पानी नहीं रूकता है। नाली बना नहीं है, नाली जो बना हुआ था वो टूट चुका है। दोनों बांध में पानी है। अतः नाली को बनवाने का काम किया जाए।" यह शिकायत अत्यंत गंभीर प्रकृति की है। जिसका समाधान कारक उत्तर परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं दिया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक संबंधित ग्राम पंचायत/जल संसाधन विभाग से जांच उपरांत प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जायें।

6. उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 31 मीटर बताई गई है। अतः जल स्त्रोत की गहराई के संबंध में आवश्यक जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

7. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही जल संसाधन विभाग, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

4. **मेसर्स श्याम स्टील इण्डस्ट्रीज, ग्राम–चरौदा एवं धरसींवा, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1955)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 259359/2022, दिनांक 02/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–चरौदा एवं धरसींवा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित प्लॉट क्रमांक 151/1, 151/2, 152/1 एवं 152/7, कुल क्षेत्रफल – 2.15 हेक्टेयर में इण्डक्शन फर्नेस (बिलेट्स) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,400 टन प्रतिवर्ष, प्रस्तावित हॉट चार्ज आधारित रोलिंग मिल क्षमता– 59,400 टन प्रतिवर्ष एवं प्रस्तावित स्लेग क्रशर क्षमता – 150 टन प्रतिदिन की स्थापना करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनियोग की कुल लागत 20.46 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 410वीं बैठक दिनांक 16/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 13/06/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि कंपनी के कुछ प्रशासनिक कारणों के कारण आवेदित प्रकरण को विथड्रॉल/निरस्त किये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई। तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. **मेसर्स किरन्दुल आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– अब्दुल वाहीद सिद्द्दीकी), ग्राम–किरन्दुल, तहसील–बड़े बचेली, जिला–दन्तेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1391)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 56475/2021, दिनांक 11/09/2020 द्वारा टीओआर हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 06/10/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 06/11/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–किरन्दुल, तहसील–बड़े बचेली, जिला–दन्तेवाड़ा स्थित खसरा क्रमांक 46, कुल क्षेत्रफल–3.397 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 71,843.75 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 400वीं बैठक दिनांक 03/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 03/03/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 410वीं बैठक दिनांक 16/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. **मेसर्स बोकी आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री अभय कुमार सोनी), ग्राम–बोकी, तहसील–जशपुर नगर, जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1737)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/218363/2021, दिनांक 18/07/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 24/07/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 07/12/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बोकी, तहसील–जशपुर नगर, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 292, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–6,318 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 22/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 401वीं बैठक दिनांक 04/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 04/03/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 410वीं बैठक दिनांक 16/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 16/06/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स श्री अभय कुमार सोनी (बोकी (02) आर्डिनरी स्टोन क्वारी), ग्राम–बोकी, तहसील व जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1750)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/222218/2021, दिनांक 28/07/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 04/08/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 07/12/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बोकी, तहसील–जशपुर नगर, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 42/1, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–44,313.88 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 22/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 401वीं बैठक दिनांक 04/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 04/03/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 410वीं बैठक दिनांक 16/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 16/06/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. **मेसर्स बारूला रेण्ड माईन (प्रो.– श्री गुंजन पिथालिया), ग्राम–बारूला, तहसील व जिला–गरियाबंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1834)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 231835/ 2021, दिनांक 29/09/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत (गौण खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम–बारूला, तहसील व जिला–गरियाबंद स्थित खसरा क्रमांक 268, कुल क्षेत्रफल–4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन पैरी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 399वीं बैठक दिनांक 15/02/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल दिनांक 15/02/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/03/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 30/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 30/03/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपूर्ण जानकारी / दस्तावेज होने के कारण से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 410वीं बैठक दिनांक 16/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 16/06/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि नहीं होने एवं अन्य संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नही होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक मे समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा विचार कर निम्न स्थिति पाई गई:—

1. परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रस्तुतीकरण हेतु 2 अवसर प्रदान किये गये है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बार—बार वांछित जानकारी अपूर्ण होने का लेख करते हुये समय दिये जाने का अनुरोध किया जा रहा है, जिससे समिति का अनावश्यक समय नष्ट हो रहा है।
2. समिति की बैठक दिनांक 15/02/2022 में लिए गये निर्णय अनुसार वांछित जानकारी आज दिनांक (4 माह) तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को डि—लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स कोचवाय सेण्ड माईन (प्रो.— श्री मनोज कुमार साहू), ग्राम—कोचवाय, तहसील व जिला—गरियाबंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1835)

ऑनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 231839/ 2021, दिनांक 29/09/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित रेत (गौण खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम—कोचवाय, तहसील व जिला—गरियाबंद स्थित खसरा क्रमांक 2127, कुल क्षेत्रफल—3 हेक्टेयर में है। उत्खनन पैरी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता — 60,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 399वीं बैठक दिनांक 15/02/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नही हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल दिनांक 15/02/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/03/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 30/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 30/03/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपूर्ण जानकारी / दस्तावेज होने के कारण से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 410वीं बैठक दिनांक 16/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 16/06/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि नहीं होने एवं अन्य संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा विचार कर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रस्तुतीकरण हेतु 2 अवसर प्रदान किये गये है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बार–बार वांछित जानकारी अपूर्ण होने का लेख करते हुये समय दिये जाने का अनुरोध किया जा रहा है, जिससे समिति का अनावश्यक समय नष्ट हो रहा है।
2. समिति की बैठक दिनांक 15/02/2022 में लिए गये निर्णय अनुसार वांछित जानकारी आज दिनांक (4 माह) तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, ग्राम–गोंदवारा, तहसील व जिला–रायपुर

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /आईएनडी/ 242996/2021, दिनांक 04/12/2021 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण –

1. मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, उरला औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–गोंदवारा, तहसील व जिला–रायपुर को एम.एस. बिलेट (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस विथ सी.सी.एम) क्षमता – 1,63,044 टन प्रतिवर्ष (4 नग गुणा 12 टन) एवं री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (थ्रू हॉट चार्ज) क्षमता – 1,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के नाम से करने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
2. **पूर्व जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– पूर्व में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 347/एस.ई.आई.ए.ए.,छ.ग./ई.सी./रायपुर/535 अटल नगर, दिनांक 06/06/2019 द्वारा मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, उरला औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–गोंदवारा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 1/4, कुल क्षेत्रफल – 1.82 हेक्टेयर (निजी भूमि 1.62 हेक्टेयर एवं सी.एस.आई.डी.सी. भूमि 0.2 हेक्टेयर) में एम.एस. बिलेट (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस विथ सी.सी.एम) क्षमता – 1,63,044 टन प्रतिवर्ष (4 नग गुणा 12 टन) एवं री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (थ्रू हॉट चार्ज) क्षमता – 1,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, उरला औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–गोंदवारा, तहसील व जिला–रायपुर का अधिग्रहण मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के नाम से होने का उल्लेख करते हुए पूर्व में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 347/एस.ई.आई.ए.ए.,छ.ग./ई.सी./रायपुर/535 अटल नगर, दिनांक 06/06/2019 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के नाम से हस्तांतरित करने बाबत् अनुरोध किया गया है। उक्त तथ्यों की पुष्टि हेतु निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं:–
   1. मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा उनको जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरण किये जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति।
   2. मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा बोर्ड रिसाल्युशन की प्रति।
   3. मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, उरला औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–गोंदवारा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 1/4, कुल क्षेत्रफल – 1.82 हेक्टेयर (निजी भूमि 1.62 हेक्टेयर एवं सी.एस.आई.डी.सी. भूमि 0.2 हेक्टेयर) में एम.एस. बिलेट (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस विथ सी.सी.एम) क्षमता – 1,63,044 टन प्रतिवर्ष (4 नग गुणा 12 टन) एवं री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (थ्रू हॉट चार्ज) क्षमता – 1,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

iv. सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के नाम से पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 372/1, कुल क्षेत्रफल 0.2 हेक्टेयर, औद्योगिक क्षेत्र उरला, ग्राम–सरोरा, जिला–रायपुर को दिनांक 04/09/2021 को संपादित लीज डीड की प्रति।

v. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के ज्ञापन दिनांक 17/07/2020 द्वारा मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड को उक्त क्षमता हेतु जारी जल एवं वायु स्थापना सम्मति पत्र की प्रति।

vi. कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/जिव्याउके–रा/भू.आ./2021/3692 रायपुर, दिनांक 04/09/2021 द्वारा मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड को औद्योगिक क्षेत्र उरला, जिला–रायपुर में खसरा क्रमांक 372/1 का भाग, ग्राम–सरोरा, रकबा 0.2 हेक्टेयर भूमि का आबंटन संबंधी पत्र की प्रति।

vii. मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा निजी भूमि के क्रय संबंधी दस्तावेज की प्रति।

viii. मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड तथा मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के मध्य प्लांट एण्ड मशीनरी, ऑफिस बिल्डिंग आदि कुल रू. 2,27,48,789.79/– सेल इन्वाईस की प्रति।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 30/12/2021 को संपन्न 117वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 06/06/2019 में अधिरोपित शर्तों के पालन की अद्यतन स्थिति सहित पालन प्रतिवेदन मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही यह भी पाया गया कि पूर्व में मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में खसरा क्रमांक 1/4, कुल क्षेत्रफल – 1.82 हेक्टेयर (निजी भूमि 1.62 हेक्टेयर एवं सी.एस.आई.डी.सी. भूमि 0.2 हेक्टेयर) का उल्लेख किया गया है, जबकि सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के नाम से संपादित लीज डीड की प्रति एवं कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर द्वारा प्रस्तुत भूमि आबंटन संबंधी पत्र में पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 372/1 का उल्लेख किया गया है। अतः इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 06/06/2019 में अधिरोपित शर्तों के पालन की अद्यतन स्थिति सहित पालन प्रतिवेदन एवं उपरोक्तानुसार भूमि के खसरा क्रमांक के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की 117वीं बैठक दिनांक 30/12/2021 एवं ज्ञापन दिनांक 10/01/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्रमशः दिनांक 04/01/2022 एवं 19/01/2022 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/04/2022 को संपन्न 119वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 06/06/2019 में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। साथ ही अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया कि वर्तमान में उद्योग द्वारा पूर्व में क्षमता विस्तार के तहत् एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 895/एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. /एसआईए/सीजी/आईएनडी/535 नया रायपुर, दिनांक 22/01/2018 द्वारा मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड को री-रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (थ्रू हॉट चार्ज) क्षमता – 1,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी, का ही संचालन किया जा रहा है। तत्पश्चात् उद्योग द्वारा एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 347/एस.ई.आई.ए.ए.,छ.ग./ई.सी. /रायपुर/535 अटल नगर, दिनांक 06/06/2019 द्वारा मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड को एम.एस. बिलेट (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस विथ सी.सी.एम) क्षमता – 1,63,044 टन प्रतिवर्ष (4 नग गुणा 12 टन) एवं री-रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (थ्रू हॉट चार्ज) क्षमता – 1,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है, के परिपेक्ष्य में कोविड के कारण इण्डक्शन फर्नेस की स्थापना संभव नहीं हो पायी है।

2. उद्योग द्वारा भूमि के खसरा क्रमांक के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुये अवगत कराया गया कि मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के समीप कुल उपलब्ध भूमि – 1.82 हेक्टेयर (निजी भूमि 1.62 हेक्टेयर एवं सी.एस.आई.डी.सी. भूमि 0.2 हेक्टेयर) थी। उक्त दोनों भूखंड को मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरित कर दिया गया है। वर्तमान में प्रस्तुत क्रय-विक्रय पंजीयन दस्तावेज के अनुसार निजी भूमि 1.62 हेक्टेयर का खसरा क्रमांक 1/4 एवं सी.एस.आई.डी.सी. भूमि 0.2 हेक्टेयर का पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 372/1 है तथा प्लॉट नम्बर निरंक है।

3. पूर्व में सी.एस.आई.डी.सी. भूमि का आबंटन किया गया तत्समय प्लॉट नम्बर निरंक था एवं खसरा क्रमांक का उल्लेख नहीं किया गया था। चूंकि पूर्व में मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड ने सी.एस.आई.डी.सी. भूमि से उक्त भूखंड को लीज पर प्राप्त किया था। तत्समय उस भूखंड के खसरा का बटांकन नहीं होने का उल्लेख किया गया है। अतः उसमें कोई खसरा क्रमांक का उल्लेख नहीं था। किन्तु जब मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड ने उक्त भूखंड को अपने पक्ष में लीज का हस्तांतरण कराया गया तब तक उस भूखंड के खसरा का बटांकन कर, उसे पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 372/1 किया गया, जो कि लीड डीड तथा कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/जिव्याउके-रा/भू.आ./2021/3692 रायपुर, दिनांक 04/09/2021 द्वारा जारी भूमि का आबंटन संबंधी पत्र की प्रति से स्पष्ट है।

4. **उद्योग द्वारा अनुरोध किया गया है कि:-**

- एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 347/एस.ई.आई.ए.ए.,छ.ग./ई.सी./रायपुर/535 अटल नगर, दिनांक 06/06/2019 द्वारा मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के परिपेक्ष्य में इण्डक्शन फर्नेस की स्थापना नहीं की जा सकी है, चूंकि पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के अनुपालन हेतु मूलरूप से स्टील डिवीजन की स्थापना हेतु पर्याप्त ग्रीन बेल्ट एवं रेनवाटर हार्वेस्टिंग के व्यवस्था करने हेतु

उपलब्ध भू-भाग को निष्पादन के दौरान अपर्याप्त पाया गया। तत्पश्चात् स्टील डिवीजन की स्थापना हेतु उद्योग से लगी हुई निजी भूमि को क्रय करना प्रस्तावित किया गया।

- उद्योग को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के ज्ञापन क्रमांक 3612/टीएस/सीईसीबी/2020 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17/07/2020 द्वारा स्थापना सम्मति जारी की गई थी, किंतु स्टील उद्योग में व्याप्त मंदी के कारण तथा अतिरिक्त भूखंड के अभाव के कारण उपरोक्त विस्तार का निष्पादन संभव नहीं हो पाया। साथ ही कोविड-19 महामारी के आजाने के कारण उद्योग की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, तदुपरांत मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड ने उक्त उद्योग को मेसर्स एस. के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड को विक्रय कर दिया। मेसर्स एस.के. ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा स्टील डिवीजन की स्थापना हेतु उद्योग से लगी हुई निजी भूमि को क्रय किया गया। जिसके खसरा क्रमांक 1/2, 1/6, 1/9, 1/10, 1/12, 1/13 कुल क्षेत्रफल 1.676 हेक्टेयर को उद्योग के नाम पर पंजीयन करा लिया गया है।
- उद्योग द्वारा पूर्व धारित भूमि 1.82 हेक्टेयर एवं वर्तमान में क्रय भूमि 1.676 हेक्टेयर भूमि को शामिल करते हुए कुल 3.496 हेक्टेयर भूखंड उपलब्ध है। इस संदर्भ में उद्योग द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र में नये क्रय किए गये अतिरिक्त भूखंड खसरा क्रमांक 1/2, 1/6, 1/9, 1/10, 1/12, 1/13 कुल क्षेत्रफल 1.676 हेक्टेयर पर एम.एस. बिलेट (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस विथ सी.सी.एम) क्षमता – 1,63,044 टन प्रतिवर्ष (4 नग गुणा 12 टन) की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। इस बाबत् प्रस्तावित विस्तार का रिवाइज्ड ले-आउट, उक्त समस्त भूभाग को शामिल करते हुए प्रस्तुत किया गया है।
- उपरोक्तानुसार जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निजी भूमि खसरा क्रमांक 1/4 के साथ सी.एस.आई.डी.सी. की भूमि पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 372/1 को उल्लेख करने तथा उद्योग द्वारा नये क्रय किए गये अतिरिक्त भूखंड खसरा क्रमांक 1/2, 1/6, 1/9, 1/10, 1/12, 1/13, कुल क्षेत्रफल 1.676 हेक्टेयर को भी जोड़ने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया:-**

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 06/06/2019 में अधिरोपित शर्तों के पालन प्रतिवेदन के अनुपालन के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नये क्रय किए गये अतिरिक्त भूखंड खसरा क्रमांक 1/2, 1/6, 1/9, 1/10, 1/12, 1/13, कुल क्षेत्रफल 1.676 हेक्टेयर को भी जोड़ने के अनुरोध को अमान्य किया गया। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त के संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा विधिवत् ऑनलाईन आवेदन किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 405वीं बैठक दिनांक 28/04/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि** परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 06/06/2019 में अधिरोपित शर्तों के पालन प्रतिवेदन के अनुपालन के परिपेक्ष्य में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 410वीं बैठक दिनांक 16/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुनिल कुमार अग्रवाल, डायरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 22/01/2018 एवं 06/06/2019 में अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है:–
   i. औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल पुनः प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है तथा घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट का निर्माण किया गया है। वॉटर मीटर की स्थापना हेतु फोटोग्राफ्स प्रस्तुत की गई है।
   ii. वर्तमान में स्थापित इकाई में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु उच्च दक्षता का स्क्रबर स्थापित है, जिसमें पार्टिकूलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम प्रति सामान्य घनमीटर से कम रखा जाता है। ऑनलाईन स्टैक मॉनिटरिंग मासिक डाटा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें पार्टिकूलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम प्रति सामान्य घनमीटर से कम अवलोकित किया गया है।
   iii. आंतरिक मार्गों एवं स्टोरेज एरिया में जल छिड़काव की जाती है।
   iv. आंतरिक मार्गों का पक्कीकरण किया गया है।
   v. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के ज्ञापन दिनांक 23/06/2018 द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट हेतु प्राप्त प्राधिकार की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की है।
   vi. जल उपभोग हेतु सी.जी.डब्ल्यू.ए. का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सी.एस.आई.डी.सी. से किये गये अनुबंध की प्रति प्रस्तुत की गई है।
   vii. किये गये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हेतु फोटोग्राफ्स प्रस्तुत की गई है।
   viii. वृक्षारोपण के तहत् 34 प्रतिशत क्षेत्र में 1,500 नग पौधे रोपित किये गये है।
   ix. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अखबार में दिये गये जन सूचना (Public Notice) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि चूंकि वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। अतः सीईआर का कार्य उद्योग स्थापना उपरांत संचालन के पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा,

जिसका प्रस्ताव सहित शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही अन्य शर्तों को पूर्ण कर जानकारी एवं फोटोग्राफ सहित पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

3. समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 22/01/2018 एवं 06/06/2019 में अधिरोपित शर्तों का प्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन एवं क्लोजर रिपोर्ट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्रमाणित पालन प्रतिवेदन एवं क्लोजर रिपोर्ट प्राप्त कर शीघ्र ही राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को अवगत कराया गया कि परियोजना क्षेत्र में अतिरिक्त नवीन भूमि को सम्मिलित करना अथवा क्षेत्रफल में वृद्धि करना ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) ई.आई.ए./ईएम.पी. स्टडी आकर्षित करता है। अतः समिति का मत है कि इस प्रकार के प्रकरण पर प्रचलित वर्तमान नियमों एवं दिशा–निर्देश अनुसार पृथक से कार्यवाही आवश्यक होगी।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सीईआर का कार्य उद्योग स्थापना उपरांत संचालन के पूर्व पूर्ण किये जाने की अतिरिक्त शर्त के अधीन मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृतियों का हस्तांतरण मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के नाम से किये जाने की अनुशंसा की गई। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित अन्य शर्ते यथावत् रहेगी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3: परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स मानपुर डोलोमाईट स्टोन (लो ग्रेड) क्वारी माईन (प्रो.– श्री भास्कर कुमार सिंह), ग्राम–मानपुर, तहसील–कवर्धा, जिला–कबीरधाम (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1758)

आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 223686/2021, दिनांक 08/08/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए टीओआर हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 07/04/2022 को टी.ओ.आर. के स्थान पर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मानपुर, तहसील–कवर्धा, जिला–कबीरधाम स्थित खसरा क्रमांक 79, 129/11

एवं 129/30, कुल क्षेत्रफल–2.409 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 53,802.78 टन (20,693.38 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 410वीं बैठक दिनांक 16/06/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्नानुसार स्थिति पाई गई कि:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित प्रकरण को 'बी2' केटेगरी का मानकर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु निम्न तथ्य प्रस्तुत किये गये हैः–

   - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिसूचना एस.ओ. 141(ई) दिनांक 15/01/2016 एवं एस.ओ. 2269(ई) दिनांक 01/07/2016 के अनुसार "किसी समूह का निर्माण, तब किया जाएगा, जब किसी पट्टे के सीमाओं की बीच की दूरी, किसी अन्य पट्टे की सीमा में सदृश्य (**homogeneous**) खनिज क्षेत्र में 500 मीटर से कम हो।" है।

   - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 44/खलि/खनिज/उ.प./20–21 कबीरधाम, दिनांक 07/01/2021 के माध्यम से डोलोमाईट खनिज उत्खनिपट्टा हेतु आशय पत्र जारी किया गया है, जबकि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 823/खलि/खनिज/उ.प./20–21 कबीरधाम, दिनांक 03/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 4.944 हेक्टेयर होना बताया गया है, जो कि निम्न श्रेणी चूना पत्थर की खदानें है। अतः आवेदित क्षेत्र में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिसूचना एस.ओ. 141(ई) दिनांक 15/01/2016 एवं एस.ओ. 2269(ई) दिनांक 01/07/2016 के अनुसार होमोजिनियस खनिजों का क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। इस प्रकार आवेदित प्रकरण को 'बी1' केटेगरी के स्थान पर 'बी2' केटेगरी का मानकर निराकरण किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

   - डोलोमाईट एवं चूना पत्थर भिन्न–भिन्न खनिज है। अतः दोनों खनिजों को होमोजिनियस खनिज नहीं कहा जा सकता है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के आधार पर तथ्य प्रस्तुत किये गये है।

   - आवेदित खदान का क्षेत्रफल 2.409 हेक्टेयर है। अतः माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेशानुसार खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम का

क्लस्टर निर्मित होने के कारण 'बी2' श्रेणी का मान्य किये जाने का अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 द्वारा जारी टीओआर को डिलिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित प्रकरण को 'बी2' केटेगरी का मानकर पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु पुनः ऑनलाईन आवेदन किये जाने के पश्चात् प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तुतीकरण में बुलाये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स खुड़सा सेण्ड माईन (प्रो.– श्री उमाशंकर शर्मा), ग्राम–खुड़सा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1732)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 220219/2021, दिनांक 15/07/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–खुड़सा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद स्थित खसरा क्रमांक 01 एवं 02, कुल क्षेत्रफल – 4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन सूखा नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 383वीं बैठक दिनांक 31/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अखिलेश कुमार शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत परसदाकला का दिनांक 13/01/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 2534/खनि02/सा.रेत/उ.यो.अनु./न.क.08/2021 नवा रायपुर, दिनांक 13/05/2021 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 413 / खनि / न.क. / 2021 गरियाबंद, दिनांक 31 / 03 / 2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र / संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 411 / खनि / न.क. / 2021 गरियाबंद, दिनांक 31 / 03 / 2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री उमा शंकर शर्मा के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 346 / गौण खनिज / नीलामी / न.क. / 2021 गरियाबंद, दिनांक 17 / 03 / 2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–खुड़सा 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–खुड़सा 3 कि.मी. एवं अस्पताल फिंगेश्वर 09 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 52 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 05 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट / पुल स्थित नहीं है।

11. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 499 मीटर, न्यूनतम 415 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 397 मीटर, न्यूनतम 384 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 103 मीटर, न्यूनतम 102 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 106 मीटर, न्यूनतम 76 मीटर है।

13. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 80,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 4 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.29 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 29/05/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
38.57	2%	0.77	Following activities at Nearby Government Primary School, **Village- Khudsa**	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Running water facility for toilet	0.30
			Total	**0.80**

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 18/04/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 410वीं बैठक दिनांक 16/06/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्नानुसार स्थिति पाई गई कि:–

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, गरियाबंद वनमण्डल, जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./अभिमत/1419 गरियाबंद, दिनांक 23/03/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 250 मीटर से अधिक दूरी पर है। लीज सीमा से अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं की गई है।

2. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 346/गौण खनिज/नीलामी/न.क./2021 गरियाबंद, दिनांक 17/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी, जिसकी वैधता समाप्त हो गई है। अतः एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज सीमा से अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत की जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स व्ही.एम. टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड (कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी), ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1313)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 53362/2020, दिनांक 26/05/2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 53362/2020, दिनांक 26/11/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह नवीन कॉमन बॉयो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी (सीबीएमडब्ल्यूटीएफ) परियोजना है। यह परियोजना ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 116/1, कुल एरिया– 0.4062 हेक्टेयर (1 एकड़) में प्रस्तावित है। नवीन कॉमन बॉयो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी (सीबीएमडब्ल्यूटीएफ) परियोजना इंडक्शन प्लास्मा पायरोलाईसिस – 100 किलोग्राम प्रतिघण्टा, ऑटोक्लेव क्षमता – 100 लीटर प्रतिबैच एवं श्रेडर क्षमता – 100 किलोग्राम प्रतिघण्टा के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के आवेदन किया गया है। प्रस्तावित परियोजना का विनियोग रुपए 2.75 करोड़ होगा।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/09/2020 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में कॉमन हजॉर्डस वेस्ट ट्रीटमेंट, स्टोरेज एण्ड डिस्पोजल फेसीलिटी (टीएसडीएफएस) (Common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs)) हेतु वर्णित श्रेणी 7(डी) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) New Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF) के अंतर्गत इंडक्शन प्लास्मा पायरोलाईसिस – 100 किलोग्राम प्रतिघण्टा, ऑटोक्लेव क्षमता – 100 किलोग्राम प्रतिबैच एवं श्रेडर क्षमता – 100 किलोग्राम प्रतिघण्टा हेतु टीओआर जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 400वीं बैठक दिनांक 03/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रवेश मलिक, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स एनप्रो इन्वायरो टेक एण्ड इन्जीनियरस प्राईवेट लिमिटेड की ओर से डॉ. धवल नायक

उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- समीपस्थ आबादी ग्राम–पूंजीपथरा 1.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन भूपदेवपुर 14.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 350 मीटर दूर है। कुरकेट नदी 7.9 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
- कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/एनएचएम/बीएमडब्ल्यु/2020/3177 रायगढ़, दिनांक 20/02/2020 द्वारा बॉयो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी (सीबीएमडब्ल्यूटीएफ) परियोजना के संचालन हेतु अनुमति प्रदान की गई है।

2. **भूमि उपयोगिता संबंधी विवरण** – आयुक्त, नगर पालिक निगम, जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 2984/सामान्य/2019, दिनांक 25/11/2019 को एल.ओ.आई. मेसर्स वी.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड को जारी की गई है। साथ ही किये गये एम.ओ.यु.(अनुबंध) मास्टर सर्विस एग्रीमेंट के सरल क्रमांक 6 के अनुसार "Project Activities and Timeline: The contract signed with DMC shall be valid for a period of 6 months installation from land allotment and environmental clearance by DMC and 36 months of exection post commissioning of the CBWTF. The contract may be extended for another 24 months and there after further extension is dependent upon mutual agreement between DMC and the qualified bidder, based on satisfactory performance" का उल्लेख है। उक्त के संदर्भ में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/एन.एच.एम./बीएमडब्ल्यू/2020/3177 रायगढ़, दिनांक 20/02/2020 द्वारा रायगढ़ जिले में संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा हेतु अनुमति प्रदाय की गई है।

3. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Description	Area(in SQM)	Area (%)
1.	Incinerator plant	208	5.1
2.	Shredder area	54	1.3
3.	Sterilization room	54	1.3
4.	Control room	36	0.9
5.	Treated waste storage room	80	2.0
6.	Hazardous waste storage room	54	1.3
7.	Red waste storage room	28	0.7
8.	Yellow waste storage room	28	0.7

9.	Other waste storage room	28	0.7
10.	E.T.P. Area	56	1.4
11.	Utility Area	70	1.7
12.	Vehicle wash Area	64	1.6
13.	Vehicle Parking Area	165	4.1
14.	Office	65	1.6
15.	Security Cabin	18	0.4
16.	Green Belt	1,340	33.0
17.	Collection and Segregation Area	120	3.0
18.	Roads Area and Open Space Area	1,594	39.2
	Total Site Area	4,062	100

4. ट्रीटमेंट फेसीलिटी –

- **BRIEF SPECIFICATIONS OF INDUCTION PLASMA PYROLYSIS INCINERATOR**

Specifications Of Induction Plasma Pyrolysis	
Capacity	100 KG Per Hour
Type	Cylindrical Vertical (solid waste feeding)
Volume	3 m³
Moc (Shell)	SS310- 10mm Thick
Chamber Pressure	10-20 mm WC
Travel Speed	6.02 mtr/ Hr
Refractory Thick	100 mm
Flue Gas Velocity	1.3 mtr / Sec
Ash And Residue Separation	Ash Separator With Hot Ash Removal Screw Conveyor
Gas Leakage Prevention	Unit High Pressure air sealing for Prevent Flue Gas Leakage
Back Pressure Prevention	From Charging Door Compressed Door Mechanism
Explosion Safety Explosion	Davit Arrangement (Internal)
Waster Loading Mechanism	Hoper unit With Safety Door
Waste Feeding Mechanism	Hydraulic Ram
Feeding unit	5HP
Nature / Category of waste	Incinerable bio-medical waste with Maximum 85% moisture Content
Heat Loss Fraction	0.05
Design Temperature	1400 ^{0}C
Source Of Energy	Electric
Combustion Efficiency	At Least 99 %
Temperature Resistance (Primary Chamber)	1400^{0}C
Temperature Resistance (Secondary chamber)	1200^{0}C
Preheating Time	Maximum One Hour
Temperature In Primary Chamber	Relevant Temperature
Temperature In Secondary Chamber	1050 + 50 ^{0}C and 1050 – 50 ^{0}C
O_2 content in Primary	6%

Chamber	
Residence time for flue gas in Secondary Chamber	2 sec

- **BRIEF SPECIFICATIONS OF SECONDARY CHAMBER**

Description	Specification
Type	Cylindrical Statical
Inclination	Vertical 90 or horizontal
Volume	3 m^3
MOC(Shell)	SS304 or MS 2062 refractory lined
Chamber pressure	10-20 mm WC
Refractory Thick	100 mm
Flue gas velocity	1.9 mtr/sec
Ash and Residues Separation	Ash Separator with Hot Ash Removal Screw Conveyor
Gas Leakage Prevention Unit	High Pressure Air sealing for Prevent Flue Gas Leakage
Explosion Safety	Explosion Davit Arrangement (Internal) Top With Counter Weight Linked With PLC Control
Retention time of flue gases in Chamber	2 - 2.2 Second.

- **Autoclave**

Technical Specifications	
Capacity	100 Litre/hr
MOC	SS - 304
Model No.	NEET AC100
Insulation	Ceramic wool on outer side
Pressure	2.1 kg/cm^2
Air Emission	Highly Odorous but Non Toxic
Heating Media	By steam generated from Electric heater arrangement.
Feeding	Hydraulic System
Safety Instrument	Pressure Gauge and Safety Valve
Temperature	121 to 134°C
Design Temperature:	150°C
Water Emission	Odorous May Contain Live Micro Organisms at Base
Treatment Effluent	Low Wet Waste 10 % Heavier all Material Acceptance Recognizable

- **Shredder**

Technical Specifications	
Capacity	100 Kg/Hr x 1 No
MODEL No	NEET AC100
Waste Materials	Biomedical waste
Power	5 HP
Motor	3 Phase 50 Hz 415 VAC
Hopper Size	300 X 400 mm Height.

Drive	V belt Pulley drive
Required Space	$2m^2$ (only machine)
MOC	MS Fabricated
MOC of Blade	W.P.S. Hardened changeable Blade
Control Panel	Dual starter ON/OFF switch
Shredding Size	25 X50 mm Waste Cutting
Bearing	SKF/ZKL Ball Bearing
Cutting Blade	5 Nos.(3 movables & 2 fix blade)

5. **प्रोजेक्ट हेतु आवश्यक तथ्य –** प्रस्तावित परियोजना में शासकीय अस्पताल, प्राईवेट अस्पताल, पैथोलॉजी लैब, बल्ड बैंक एवं शासकीय उप–स्वास्थ केन्द्र आदि में बेडो की संख्या एवं बॉयो मेडिकल वेस्ट संग्रह किये जाने संबंधी जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. **हजाड्र्स एवं ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –**

Hazardous & Solid Waste Management				
CAT. NO.	**TYPE OF HAZARDOUS AND OTHER WASTE**	**SOURCE**	**QUANTITY GENERATED (Kg/Day)**	**METHOD OF DISPOSAL**
36.2	Ash	Incinerator	500	Sent to TSDF
34.3	ETP Sludge	ETP area	75	Sent to TSDF site for landfilling or cement co-processing
-	Plastic Waste after Autoclave and shredding	Shredder	500	Sent to Authorized Recyclers
-	Glass and metallic body implants After Autoclave	Autoclave	300	Sent to Authorized Recyclers
-	Metal Sharps after Autoclave and Shredding	Shredding	As generated	Sent to foundry for metal recovery / TSDF
5.1	Waste oil	From Plant & Machineries	10	Sent to Authorized Recyclers
-	Used batteries		As generated	Sent to Authorized Recyclers

7. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 10 किलोलीटर प्रतिदिन जिसमे से फ्रेश वॉटर 5.5 किलोलीटर प्रतिदिन एवं रिसाईकल वॉटर 4.5 किलोलीटर प्रतिदिन (इनसिनरेटर / स्क्रबर में 4.7 किलोलीटर प्रतिदिन, फ्लोर वॉशिंग में 0.8 किलोलीटर प्रतिदिन, व्हीकल वॉशिंग में 1 किलोलीटर प्रतिदिन, सॉल्युशन बनाने में 0.1 किलोलीटर प्रतिदिन, स्टीम जनरेशन में 0.1 किलोलीटर प्रतिदिन, गार्डनिंग में 2.5

किलोलीटर प्रतिदिन एवं घरेलु 0.8 किलोलीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाएगा। आवश्यक जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। इस हेतु केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण (CGWA) से अनुमति लिया जाएगा।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – घरेलू दूषित जल की मात्रा 0.6 किलोलीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक दूषित जल की मात्रा 4.6 किलोलीटर प्रतिदिन होगी। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक/सोक पिट का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ईफ्ल्युएंट ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता–10 किलोलीटर प्रतिदिन की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। ईफ्ल्युऐंट ट्रिटमेंट प्लांट के अंतर्गत कलेक्शन कम एक्वालाइजेशन टैंक, फ्लैश मिक्सर एवं फ्लोकुलेटर, प्राईमरी सेटलिंग टैंक, एरिएशन टैंक, सेकण्डरी सेटलिंग टैंक, इंटरमिटेट स्टोरेज टैंक, पंप, स्लज ड्राईंग बेड, पी.एस.एफ. एवं ए.सी.एफ., कैमिकल डिसइन्फेक्शन फेसिलिटी (सोडियम हाइपोक्लोराइड/क्लोरिन/पोटेशियमपर मैगनेट का उपयोग डिसइन्फेक्टेंट मीडिया की तरह किया जाएगा), ट्रीटेड वेस्ट वॉटर टैंक आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल को विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसारः–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 1,345 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 1 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 3.6 मीटर, चौडाई 2 मीटर एवं गहराई 0.2 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – Induction Plasma Pyrolsis में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु क्विंचर के साथ पेक्ड बैड स्क्रबर एवं वेंचुरी स्क्रबर तथा चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। डी.जी. सेट में चिमनी की उंचाई 12 मीटर होगी। उक्त चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलिग्राम प्रति सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिडकाव किया जाना प्रस्तावित है।
9. **परिवहन व्यवस्था** – जैव–चिकित्सा अपशिष्ट का संग्रहण एवं परिवहन जैव–चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।
10. **विद्युत खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 150 के.व्ही.ए. विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 150 के.व्ही.ए. का एक डी.जी. सेट लगाया जाना प्रस्तावित है।

11. **वृक्षारोपण की स्थिति** – कुल क्षेत्रफल में से लगभग 1,340 वर्गमीटर (लगभग 33 प्रतिशत) में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

12. प्रस्तावित क्षमता विस्तार कार्यकलाप के उपरांत विनियोग की कुल लागत 2.75 करोड़ होना बताया गया है, जिसका ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. पूर्व में टी.ओ.आर. हेतु प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में एवं जारी टी.ओ.आर. में ऑटोक्लेव क्षमता – 100 किलोग्राम प्रतिबैच का उल्लेख है। जबकि फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट में ऑटोक्लेव क्षमता – 100 लीटर प्रतिबैच का उल्लेख किया गया है। अतः इस संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 16 अक्टूम्बर, 2020 से 15 जनवरी, 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 9 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

    ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 14.9 से 51 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 56.4 से 94 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 3.6 से 25.3 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 7.8 से 32 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेशीय वायु में जी.एल.सी. (GLC) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार परियोजना के प्रारंभ होने के उपरांत पी.एम. की मात्रा 0.16 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि, हाईड्रोक्लोरिक एसीड की मात्रा 0.16 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि एवं एन.ओ.$_{एक्स}$ की मात्रा 1.25 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि होगी।

    iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।

    iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 49.5 डीबीए से 54.2 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 38.6 डीबीए से 43.7 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

16. लोक सुनवाई दिनांक 11/08/2021 प्रातः 11:00 बजे स्थान बंजारी मंदिर परिसर के समीप ग्राम–तराईमल, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 23/10/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

17. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

    i. इस क्षेत्र में हाथीयों के आवागम के लिये धरमजयगढ़ से बंगुरसिया तक ऐलिफेंट कॉरिडोर बनाया गया है, जिसके कारण इस क्षेत्र में ऐलिफेंट वॉच टॉवर भी बनाया गया है।

ii. प्रस्तावित क्षेत्र के समीप केलो नदी एवं कुरकेट नदी 7 कि.मी. है। परियोजना से दूषित जल नदियों में प्रवाहित किया जाएगा।

iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक का कथन एवं प्रस्तावित कार्ययोजना संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:–

i. प्रस्तावित कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट क्षेत्र ऐलिफेंट कॉरिडोर के बाहर है।

ii. जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ईटीपी लगाया जाएगा साथ ही किसी प्रकार का दूषित जल परियोजना क्षेत्र के बाहर नहीं निस्तारित किया जाएगा।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
275	2%	5.50	Following activities at Government Primary School, **Village- Punjipathara**	
			Rain Water Harvesting System	0.36
			Roof top Solar Panal System	3.12
			Potable Drinking Water Facility with 5 year AMC	0.78
			Digitization of School Projectors, Computers, Tables	1.24
			Total	**5.50**

उक्त प्रस्ताव को समिति द्वारा अमान्य किया गया है। समिति का मत है कि "पवित्र वन" के तहत (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, साल, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में टी.ओ.आर. हेतु प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में एवं जारी टी.ओ.आर. में ऑटोक्लेव क्षमता – 100 किलोग्राम प्रतिबैच का उल्लेख है। जबकि फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट में ऑटोक्लेव क्षमता – 100 लीटर प्रतिबैच का उल्लेख किया गया है। अतः इस संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तावित परियोजना मे शासकीय अस्पताल, प्राईवेट अस्पताल, पैथोलॉजी लैब, ब्लड बैंक एवं शासकीय उप–स्वास्थ केन्द्र आदि मे बेड की संख्या, बॉयो मेडिकल वेस्ट की मात्रा एवं संग्रहण किये जाने के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उक्त संस्थाओं से जनित बॉयो मेडिकल वेस्ट की मात्रा अनुसार बॉयो मेडिकल वेस्ट फेसिलिटी किया जा रहा है अथवा नहीं? के संबंध में गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. विनियोग की कुल लागत का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाए।
4. 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. भूमि संबंधी दस्तावेज खसरा नक्शा (बी–1, पी–2) प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना के स्थापना हेतु संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
7. उद्योग एवं उद्योग परिसर के चारों ओर एम.पी.एन. (Most Probable Number) स्टडी प्रतिवर्ष किए जाने हेतु शपथ पत्र (Under Taking) प्रस्तुत किया जाए।
8. प्रत्येक 6 माह में उद्योग एवं परियोजना के आस–पास निवासरत लोगों का एलर्जी एवं पैथोजनिक प्रभाव की स्टडी कराने हेतु शपथ पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. प्रस्तावित परियोजना में कितने व्यक्ति कार्यबल के रूप में कार्य करेंगे एवं उनके सुरक्षा हेतु क्या व्यवस्था की जाएगी? के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
10. प्रस्तावित परियोजना एवं आस–पास के क्षेत्र का ऐरो–बॉयोलॉजिकल स्टडी (Aero-Biological study) कराने हेतु शपथ पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. प्रस्तावित परियोजना से उत्पन्न परिसंकटमय अपशिष्ट एवं ठोस अपशिष्ट के निपटान हेतु टी.एस.डी.एफ., सीमेंट इकाईयों मे को-प्रोसेसिंग के लिए एवं अधिकृत रिसाईक्लर से अनुबंध के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
12. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधो, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 01/04/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 27/04/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 410वीं बैठक दिनांक 16/06/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि:-

1. जल के घनत्व को 1 घनमीटर माना गया है। जिससे ऑटोक्लेव की क्षमता की ईकाई किलोग्राम प्रतिबैच एवं लीटर प्रतिबैच का उपयोग किया गया हैं, जो कि समान है। आटोक्लेव मशीन मे स्टीम (steam) का उपयोग उच्च दाब में प्रेशर वेसल के अंतर्गत हानिकारक बैक्टेरिया, वायरस, फंगस एवं बीजाणु को मारने के लिए किया जाता है। ऑटोक्लेव की क्षमता कक्ष के आयतन के बराबर होती है। ऑटोक्लेव की प्रतिबैच को प्रतिघंटा माना गया है।
2. प्रस्तावित परियोजना द्वारा बताया गया कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार 1 बॉयो-मेडिकल वेस्ट फेसिलिटी में 75 कि.मी. का क्षेत्र एवं 10,000 बेडों की संख्या लिये जाने का उल्लेख है। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा रायगढ़ जिले के कुल 184 हेल्थ केयर फैसिलिटी (HCFs) में बेडो की संख्या 1,722 लिया गया है, जिससे जनित बॉयो मेडिकल वेस्ट की मात्रा 516.6 कि.ग्रा. प्रतिदिन (गाईडलाईन अनुसार 300 ग्राम प्रतिबेड प्रतिदिन) को संग्रहण किया जाएगा।
3. विनियोग की कुल लागत का ब्रेक-अप प्रस्तुत किया गया है परन्तु भूमि के मूल्य को शामिल नहीं किया गया है। भूमि के मूल्य को शामिल करते हुए विनियोग की कुल लागत का ब्रेक-अप प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया नहीं किया गया है।
5. भूमि खसरा क्रमांक 116/7 (खसरा क्रमांक 116/1 का भाग) शासकीय भूमि है जो संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा (CBWTF) इकाई की स्थापना हेतु आरक्षित है।
6. परियोजना के स्थापना हेतु ग्राम पंचायत समारूमा का दिनांक 21/12/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
7. उद्योग एवं उद्योग परिसर के चारों ओर एम.पी.एन. (Most Probable Number) स्टडी प्रतिवर्ष किए जाने हेतु वचन पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. प्रत्येक 6 माह में उद्योग एवं परियोजना के आस-पास निवासरत लोगों का एलर्जी एवं पैथोजनिक प्रभाव की स्टडी कराने हेतु वचन पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
9. प्रस्तावित परियोजना में कुशल श्रमिक 5, अर्धकुशल श्रमिक 8 एवं अकुशल श्रमिक 12 व्यक्ति कार्यबल के रूप में कार्य करेंगें एवं उनके सुरक्षा हेतु सुरक्षात्मक उपाय अपनाया जाएगा साथ ही प्रत्येक 6 माह में श्रमिकों का पैथोजैनिक टेस्ट करवाया जाएगा।
10. प्रस्तावित परियोजना एवं आस-पास के क्षेत्र का ऐरो-बॉयोलॉजिकल स्टडी (Aero-Biological study) कराने हेतु वचन पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
11. ई.टी.पी. स्लज, इन्सीनेरेशन ऐश एवं मेटल शार्प को मेसर्स रामकी इन्व्हायरो इंजीनियर्स, जिला-बलोदाबाजार को उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान में मेसर्स

रामकी इन्व्हायरो इंजीनियर्स जिला–बलोदाबाजार का संचालन नहीं है। संचालन प्रारंभ होने तक उत्पन्न अपशिष्ट को मेसर्स रामकी इन्व्हायरो इंजीनियर्स पिथमपुरा, म.प्र. को उपलब्ध कराया जाएगा। मेसर्स रामकी इन्व्हायरो इंजीनियर्स, जिला–बलोदाबाजार से अनुबंध पर्यावरण स्वीकृति एवं पर्यावरण स्वीकृति प्राप्ति उपरांत अन्य आवश्यक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद की जाएगी (प्रदूषण बोर्ड द्वारा दी गई सत्यापन के अधीन)। रिसायकेबल प्लास्टिक एवं ग्लास वेस्ट को समीपस्थ अधिकृत रिसाईक्लर को उपलब्ध कराया जाएगा (प्रदूषण बोर्ड द्वारा दी गई सत्यापन के अधीन)। यूज्ड बैटरीज को स्टार ई–प्रोसेसर ग्राम–बकतरा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर को उपलब्ध कराया जाएगा (प्रदूषण बोर्ड द्वारा दी गई सत्यापन के अधीन)।

12. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
275	2%	5.50	Following activities at,	
			Pavitra van nirman	5.50
			Total	**5.50**

13. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 400 नग पौधों के लिए राशि 40,000 रूपये, सिंचाई तथा फेंसिंग (Protection) के लिए राशि 38,000 रूपये, पीट मेकिंग तथा खाद के लिए राशि 38,000 रूपये, रख–रखाव के लिए राशि 52,600 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,68,600 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 3,81,400 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् पवित्र निर्माण वन हेतु ग्राम पंचायत समारूमा को यथायोग्य स्थान प्राप्त करने के लिए पत्राचार किया गया है जिसकी प्रति प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि ग्राम पंचायत से यथायोग्य स्थान (खसरा नंबर एवं रकबा सहित) प्राप्त कर ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. भूमि के मूल्य को शामिल करते हुए विनियोग की कुल लागत का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाए। साथ ही कुल विनियोग में वृद्धि होने पर तदानुसार सी.ई.आर. के अतिरिक्त कार्य हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक) से प्रमाणित कराकर अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाए।

3. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के हेतु ग्राम पंचायत से यथायोग्य स्थान (खसरा नंबर एवं रकबा सहित) विवरण प्राप्त कर ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया किया जाए।
4. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये जवाब (उपरोक्तनुसार बिन्दु क्रमांक ii एवं iii) का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. श्रमिकों के सुरक्षा हेतु सुरक्षात्मक उपाय अपनाये जाने एवं प्रत्येक 6 माह में श्रमिकों का पैथोजैनिक टेस्ट करवाये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. प्रस्तावित परियोजना एवं आस–पास के क्षेत्र का ऐरो–बॉयोलॉजिकल स्टडी (Aero-Biological study) कराने हेतु शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।
7. रिसायकेबल प्लास्टिक एवं ग्लास वेस्ट को समीपस्थ अधिकृत रिसाईक्लर को उपलब्ध कराये जाने तथा यूज्ड बैटरीज को स्टार ई–प्रोसेसर ग्राम–बकतरा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर को उपलब्ध कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स सोनपुरखुर्द ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट (प्रो. – श्री अतुल सिंह), ग्राम–सोनपुरखुर्द, तहसील–अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1791)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 226218/2021, दिनांक 01/09/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–सोनपुरखुर्द, तहसील–अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक 205/14, 205/15, 205/28 एवं 205/30, कुल क्षेत्रफल–1.141 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 396वीं बैठक दिनांक 25/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुभाष वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सुखरी का दिनांक 02/10/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1680/ ख. लि.–2/2021 रायगढ़, दिनांक 18/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक/1431/खनिज/खलि.3/उ.प./2021 अम्बिकापुर, दिनांक 17/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक/1431/खनिज/खलि.3/उ.प./2021 अम्बिकापुर, दिनांक 17/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, जलाशय एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा), अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक 637/खनिज/ख.लि.1/न.क्र. 25/2021 अम्बिकापुर, दिनांक 26/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 205/14 श्री ननका राम, 205/15 श्री स्वाति राम, 205/28 श्री घरभरन एवं 205/30 श्री शिवनाथ के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./3901 अम्बिकापुर, दिनांक 18/07/2018 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सोनपुरखुर्द 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–सोनपुरखुर्द 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–सोनपुरखुर्द 1.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 25 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1 कि.मी. दूर है। घुनघटा नदी 2.7 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 22,820 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 16,660 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 15,827 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 542 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.2 हेक्टेयर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भठ्ठा स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी फिक्स चिमनी

की ऊंचाई 33 मीटर होगी। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जायेगा। खदान की संभावित आयु 15 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 12 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जायेगा। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
प्रथम	500	5,00,000
द्वितीय	500	5,00,000
तृतीय	500	5,00,000
चतुर्थ	500	5,00,000
पंचम	500	5,00,000

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
षष्टम	500	5,00,000
सप्तम	500	5,00,000
अष्टम	500	5,00,000
नवम	500	5,00,000
दशम	500	5,00,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.52 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 269 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
16. ईंट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले की मात्रा एवं उससे जनित ऐश की मात्रा एवं रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) के उपयोग की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. जिग–जैग किल्न के निर्माण हेतु ड्राईंग, डिजाईन एवं विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. ईंट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले की मात्रा एवं उससे जनित ऐश की मात्रा एवं रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) के उपयोग की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान

(खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

4. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 02/03/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 402वीं बैठक दिनांक 16/03/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. जिग–जैग किल्न के निर्माण हेतु ड्राईंग, डिजाईन एवं विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
2. ईंट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले की मात्रा 10 टन से 12 टन एवं उससे जनित ऐश की मात्रा 5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत तथा रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग पहुंच मार्ग के रख–रखाव में किया जाएगा।
3. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 1,900 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,400 रूपये, रख–रखाव के लिए राशि 84,000 रूपये, झुला एवं फिसलपटटी के लिए राशि 20,000 रूपये, लाईटिंग, डस्टबीन आदि के लिए राशि 21,500 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 1,68,800 रूपये, 5 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 205/24 क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति द्वारा सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत् झुला, फिसलपट्टी, लाईटिंग, डस्टबीन आदि का कार्य, के प्रस्ताव को अमान्य किया गया। समिति का मत है कि उपरोक्तानुसार सी.ई.आर. के तहत् "पवित्र वन" का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/04/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 27/04/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 410वीं बैठक दिनांक 16/06/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई किः–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
28	2%	0.56	Following activities at **Village-Sonpurkhurd**	
			Pavitra Van Nirman	2.26
			Total	**2.26**

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 600 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 700 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 41,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 82,300 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,44,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् पवित्र वन हेतु ग्राम पंचायत सुखरी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 205/24, क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
3. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा), अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक 637/खनिज/ख.लि.1/न.क्र.25/2021 अम्बिकापुर, दिनांक 26/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी, जिसकी वैधता समाप्त हो गई है। अतः एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स गोपालपुर ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट (प्रो.– श्री रामकिशुन यादव), ग्राम–गोपालपुर, तहसील–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1792)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 226282/2021, दिनांक 01/09/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–गोपालपुर, तहसील–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज स्थित खसरा क्रमांक 499/1 एवं 499/2, कुल क्षेत्रफल–1.23 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 396वीं बैठक दिनांक 25/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बबलू यादव, अधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत गोपालपुर का दिनांक 23/08/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना –** क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/1205/खनिज/खलि.2/2021/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 18/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक/431/खनिज/उत्खनि./2021 बलरामपुर, दिनांक 15/04/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक/430 खनिज/उत्खनि./2021 बलरामपुर, दिनांक 15/04/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, जलाशय, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण –** एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक/316/गौण खनिज/उत्खननपट्टा/2021 बलरामपुर, दिनांक 22/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. **भू–स्वामित्व –** भूमि खसरा क्रमांक 499/1 श्री गुन्नू एवं 499/2 श्री विजय यादव के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट –** वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल, बलरामपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2018/7503 बलरामपुर, दिनांक 05/10/2018 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र से उत्तर में 0.7 कि.मी. की दूरी पर है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी –** निकटतम आबादी ग्राम–गोपालपुर 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–गोपालपुर 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–गोपालपुर 1 कि.मी. की

दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 35 कि.मी. दूर है। महान नदी 2 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 22,100 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 16,144 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 15,336 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 440 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.2 हेक्टेयर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर होगी। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जायेगा। खदान की संभावित आयु 20 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 12 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जायेगा। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
प्रथम	500	5,00,000
द्वितीय	500	5,00,000
तृतीय	500	5,00,000
चर्तुथ	500	5,00,000
पंचम	500	5,00,000

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
षष्टम	500	5,00,000
सप्तम	500	5,00,000
अष्टम	500	5,00,000
नवम	500	5,00,000
दशम	500	5,00,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.52 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 233 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत

यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. ईंट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले की मात्रा एवं उससे जनित ऐश की मात्रा एवं रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) के उपयोग की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. गूगल मैप से देखने पर लीज क्षेत्र का कुछ भाग उत्खनित प्रतिपादित होना पाया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र पूर्व से उत्खनित नहीं है। समिति का मत है कि इस संबंध में जानकारी/दस्तावेज खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. जिग–जैग किल्न के निर्माण हेतु ड्राईंग, डिजाईन एवं विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज क्षेत्र का कुछ भाग उत्खनित है अथवा नहीं के संबंध में जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. ईंट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले की मात्रा एवं उससे जनित ऐश की मात्रा एवं रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) के उपयोग की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
5. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव "पवित्र वन" के तहत (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
6. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 02/03/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 402वीं बैठक दिनांक 16/03/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. जिग–जैग किल्न के निर्माण हेतु ड्राईंग, डिजाईन एवं विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
2. लीज क्षेत्र का कुछ भाग उत्खनित है अथवा नहीं के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 41/खनिज/उत्खनि./2022 बलरामपुर, दिनांक 28/01/2022 के अनुसार उक्त स्वीकृत गौण खनिज उत्खनिपट्टा क्षेत्र में प्रदर्शित होने वाले विद्यमान गढ्ढे उत्खनिपट्टा स्वीकृत पूर्व स्थापित है।

3. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत गोपालपुर का दिनांक 20/01/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. ईंट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले की मात्रा 10 टन से 12 टन एवं उससे जनित ऐश की मात्रा 5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत तथा रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग पहुंच मार्ग के रख–रखाव में किया जाएगा।
5. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 1,900 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,400 रूपये, रख–रखाव के लिए राशि 84,000 रूपये, झुला एवं फिसलपट्टी के लिए राशि 20,000 रूपये, लाईटिंग, डस्टबीन आदि के लिए राशि 21,500 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 1,68,800 रूपये, 5 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 322/1 क्षेत्रफल 4.031 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति द्वारा सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत् झुला, फिसलपट्टी, लाईटिंग, डस्टबीन आदि का कार्य, के प्रस्ताव को अमान्य किया गया। समिति का मत है कि उपरोक्तानुसार सी.ई.आर. के तहत् "पवित्र वन" का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/04/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 27/04/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 410वीं बैठक दिनांक 16/06/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि:–

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
28	2%	0.56	Following activities at **Village-Gopalpur**	
			Pavitra Van Nirman	2.26
			Total	**2.26**

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 600 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 700 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 41,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 82,300 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,44,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत पवित्र वन हेतु ग्राम पंचायत गोपालपुर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 322/1, क्षेत्रफल 1 एकड़) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक/316/गौण खनिज/उत्खननपट्टा/2021 बलरामपुर, दिनांक 22/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी, जिसकी वैधता समाप्त हो गई है। अतः एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स रेवतपुर ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट (प्रो.–श्री सुरेन्द्र कुमार जायसवाल), ग्राम–रेवतपुर, तहसील–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1793)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 226257/2021, दिनांक 01/09/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–रेवतपुर, तहसील–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज स्थित खसरा क्रमांक 321 एवं 1344/34, कुल क्षेत्रफल–1.02 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 400 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 396वीं बैठक दिनांक 25/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पंकज जायसवाल, अधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धंधापुर का दिनांक 30/01/2021 एवं ग्राम पंचायत रेवतपुर का दिनांक 10/12/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/1208/खनिज/खलि.2/2021/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 18/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक/607/खनिज/उत्खनि./2021 बलरामपुर, दिनांक 07/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक/608/खनिज/उत्खनि./2021 बलरामपुर, दिनांक 07/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, जलाशय, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक/551/गौण खनिज/उत्खननपट्टा/2021 बलरामपुर, दिनांक 17/06/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 1344/34 श्री बंशरोपन जायसवाल एवं खसरा क्रमांक 321 श्री सुरेन्द जायसवाल, श्री प्रसनल जायसवाल, श्री रामधारी जायसवाल के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल, बलरामपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2020/6189 बलरामपुर, दिनांक 11/12/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र से उत्तर में 1 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–रेवतपुर 1.4 कि.मी., स्कूल ग्राम–रेवतपुर 1.4 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–रेवतपुर 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 16 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 42 कि.मी. दूर है। महान नदी 4.5 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 20,400 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 14,328 घनमीटर एवं रिकवरेबल रिजर्व 13,611 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 470 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन

किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.2 हेक्टेयर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भठ्ठा स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर होगी। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जायेगा। खदान की संभावित आयु 20 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 12 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जायेगा। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
प्रथम	400	4,00,000
द्वितीय	400	4,00,000
तृतीय	400	4,00,000
चर्तुथ	400	4,00,000
पंचम	400	4,00,000

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
षष्टम	400	4,00,000
सप्तम	400	4,00,000
अष्ठम	400	4,00,000
नवम	400	4,00,000
दशम	400	4,00,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.41 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 236 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
16. ईंट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले की मात्रा एवं उससे जनित ऐश की मात्रा एवं रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) के उपयोग की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. जिग–जैग किल्न के निर्माण हेतु ड्राईंग, डिजाईन एवं विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

2. ईंट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले की मात्रा एवं उससे जनित ऐश की मात्रा एवं रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) के उपयोग की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

3. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

4. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 02/03/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 402वीं बैठक दिनांक 16/03/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. जिग–जैग किल्न के निर्माण हेतु ड्राईंग, डिजाईन एवं विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

2. ईंट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले की मात्रा 10 टन से 12 टन एवं उससे जनित ऐश की मात्रा 5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत तथा रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग पहुंच मार्ग के रख–रखाव में किया जाएगा।

3. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 1,900 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,400 रूपये, रख–रखाव के लिए राशि 84,000 रूपये, झुला एवं फिसलपट्टी के लिए राशि 20,000 रूपये, लाईटिंग, डस्टबीन आदि के लिए राशि 21,500 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 1,68,800 रूपये, 5 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 462/1, क्षेत्रफल 1 एकड़) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति द्वारा सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत् झुला, फिसलपट्टी, लाईटिंग, डस्टबीन आदि का कार्य, के प्रस्ताव को अमान्य किया गया। समिति का मत है कि उपरोक्तानुसार सी.ई.आर. के तहत् "पवित्र वन" का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/04/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 27/04/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 410वीं बैठक दिनांक 16/06/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
28	2%	0.56	Following activities at **Village-Revatpur**	
			Pavitra Van Nirman	2.26
			Total	**2.26**

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 600 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 700 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 41,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 82,300 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,44,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् पवित्र वन हेतु ग्राम पंचायत रेवतपुर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 464/1, क्षेत्रफल 1 एकड़) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
3. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक/551/गौण खनिज/उत्खननपट्टा/2021 बलरामपुर, दिनांक 17/06/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी, जिसकी वैधता समाप्त हो गई है। अतः एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स लमकेनी ब्रिक्स अर्थ क्वारी एण्ड ब्रिक किल्न प्रोजेक्ट (प्रो.– श्री दीनबंधु साहू), ग्राम–लमकेनी, तहसील–अभनपुर, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1799)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 227885/2021, दिनांक 05/09/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–लमकेनी, तहसील–अभनपुर, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 114, कुल क्षेत्रफल–1.336 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,250 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 12,50,000 नग) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 397वीं बैठक दिनांक 27/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री खेलूराम साहू, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति में जावक क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख नहीं होने के कारण उनके द्वारा खनिज विभाग में सूचना के अधिकार के अंतर्गत जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति प्राप्त किये जाने का लेख किया गया था, जिसके परिपेक्ष्य में खनिज विभाग द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु कार्यवाही विवरण की प्रति प्रस्तुत की गई। समिति का मत है कि खनिज विभाग से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक /क. /ख.लि./तीन–6/2021/573 रायपुर, दिनांक 18/08/2021 द्वारा विगत वर्षो में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	ईंट उत्पादन (नग)
2016	5,67,000
2017	6,30,500
2018	4,75,000
2019	6,08,000
2020	90,500

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत लमकेनी का दिनांक 08/09/2005 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 3544 / खनि02 / मा.प्ल.अनुमोदन / न.क.04 / 2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 12 / 07 / 2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 572 / ख.लि. / तीन–6 / 2021 रायपुर, दिनांक 18 / 08 / 2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र / संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 572 / ख.लि. / तीन–6 / 2021 रायपुर, दिनांक 18 / 08 / 2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री दीनबंधु साहू के नाम पर है। लीज डीड 05 वर्षों अर्थात् दिनांक 24 / 12 / 2005 से 23 / 12 / 2010 तक की अवधि हेतु वैध थी। लीज का नवीनीकरण दिनांक 24 / 12 / 2010 से 23 / 12 / 2020 तक की अवधि हेतु की गई थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 15 वर्षों की, दिनांक 24 / 12 / 2020 से 23 / 12 / 2035 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 114 श्री खेलु राम एवं आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–लमकेनी 0.35 कि.मी., स्कूल ग्राम–लमकेनी 0.35 कि.मी. एवं अस्पताल अभनपुर 13 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.9 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.3 कि.मी. दूर है। खारून नदी 0.6 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 25,120 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 19,252 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 19,289 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 615 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौडाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर होगा, जिसका क्षेत्रफल 1,700 वर्गमीटर होगी। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 16.7 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 18 टन कोयले की

आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की गई है। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	ईंट उत्पादन (नग)
प्रथम	1,250	12,50,000
द्वितीय	1,250	12,50,000
तृतीय	1,250	12,50,000
चतुर्थ	1,250	12,50,000
पंचम	1,250	12,50,000

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	ईंट उत्पादन (नग)
षष्टम	1,250	12,50,000
सप्तम	1,250	12,50,000
अष्टम	1,250	12,50,000
नवम	1,250	12,50,000
दशम	1,250	12,50,000

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 100 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

<table>
<tr><th rowspan="2">Capital Investment (in Lakh Rupees)</th><th rowspan="2">Percentage of Capital Investment to be Spent</th><th rowspan="2">Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)</th><th colspan="2">Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><th>Particulars</th><th>CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><td rowspan="5">41.24</td><td rowspan="5">2%</td><td rowspan="5">0.82</td><td colspan="2">Following activities at Government Primary School, Village- Lamkeni</td></tr>
<tr><td>Rain Water Harvesting System</td><td>0.43</td></tr>
<tr><td>Potable Drinking Water Facility with 5 year AMC</td><td>0.40</td></tr>
<tr><td>Plantation</td><td>0.10</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>0.93</td></tr>
</table>

समिति का मत है कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के स्थान पर सबमर्सिबल पंप लगाकर पाईप के माध्यम से रनिंग वॉटर एवं पेय जल हेतु अलग–अलग टंकी स्थापित किया जाए।

15. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
16. प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
17. सीईआर के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
18. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि अनुमोदित क्वारी प्लान में माईनेबल रिजर्व 19,252 घनमीटर की मात्रा रिकव्हरेबल रिजर्व 19,289 घनमीटर की मात्रा से कम होना बताया गया है, जो कि संभव नहीं है। अतः उक्त के संबंध में संशोधित अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. खनिज विभाग से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. उत्खनन हेतु ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की (बैठक दिनांक, सचिव एवं सरपंच के हस्ताक्षर सहित) अद्यतन प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. ईंट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले से जनित ऐश की मात्रा एवं रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) के उपयोग की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
4. उपरोक्तानुसार अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया जाए।
5. जिग–जैग किल्न के निर्माण हेतु ड्राईंग, डिजाईन एवं विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
7. सी.ई.आर. के तहत् रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के स्थान पर सबमर्सिबल पंप लगाकर पाईप के माध्यम से रनिंग वॉटर एवं पेय जल हेतु अलग–अलग टंकी स्थापित किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
8. सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 05/05/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 410वीं बैठक दिनांक 16/06/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि:–

1. साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी के संबंध में फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत लमकेनी का दिनांक 28/03/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. ईंट निर्माण हेतु उपयोग में लगभग 17 टन प्रतिवर्ष ऐश जनित होगा, जिसका उपयोग ईंट निर्माण में किया जाएगा। साथ ही रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग पहुँच मार्ग के संधारण में किया जाएगा।
4. अनुमोदित क्वारी प्लान में माईनेबल रिजर्व 19,252 घनमीटर की मात्रा रिकव्हरेबल रिजर्व 19,289 घनमीटर की मात्रा से कम होना बताया गया था, जो कि संभव नहीं है। इस संबंध मे परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी अनुसार टंकन त्रुटिवश रिकव्हरेबल रिजर्व की मात्रा 19,289 टन थी, जिसे संयुक्त–संचालक (खनि.प्रशा.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा (अनुमोदित क्वारी प्लान के पेज क्र.–11) त्रुटि सुधार कर रिकव्हरेबल रिजर्व की मात्रा 18,289 टन करते हुए संशोधित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
5. जिग–जैग किल्न के निर्माण हेतु ड्राईंग, डिजाईन एवं विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि आवेदित क्षेत्र में जिग–जैग किल्न के स्थान पर पूर्व से फिक्स चिमनी (Type BTK) स्थापित है।
6. जल की आपूर्ति बोरवेल के स्थान पर ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
7. सी.ई.आर. के तहत् रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के स्थान पर सबमर्सिबल पंप लगाकर पाईप के माध्यम से रनिंग वॉटर एवं पेयजल हेतु अलग–अलग टंकी स्थापित किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
8. सी.ई.आर. के तहत् (जामुन, नीम एवं आम) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नग पौधों के लिए राशि 2,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 11,500 रूपये, खाद के लिए राशि 400 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 3,600 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 18,000 रूपये के लिए 5 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
9. खनिज विभाग से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./ख.लि./तीन–6/2022/10 रायपुर, दिनांक 04/04/2022 के अनुसार "कार्यालयीन पत्र क्रमांक 374 दिनांक 24.06.2017 के तहत् श्री दीनबंधु साहू को स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र रकबा 1.336 हेक्टेयर के लिए पर्यावरण सम्मति आदेश जारी किया गया है। मूल नस्ती में पर्यावरण सम्मति आदेश संलग्न नहीं होने एवं पट्टेदार के पास उपलब्ध नहीं होने के कारण उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।" होना बताया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि परियोजना प्रस्तावक को

पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं हुई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन किया गया है। समिति का मत है कि बिना पर्यावरणीय स्वीकृति प्रति के उत्खनन किया जाना ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों का उल्लंघन है। अतः उल्लंघन की श्रेणी में आने के कारण उल्लंघन का उल्लेख करते हुये पुनः आनलाईन आवेदन किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन फार्म में उल्लंघन का उल्लेख नहीं करने के कारण आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई। समिति का यह भी निर्णय है कि परियोजना प्रस्तावक को ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् उल्लंघन का उल्लेख करते हुये विहित प्रारूप में ऑनलाईन आवेदन किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(कलदियुस तिर्की)
सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)
अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

परिशिष्ट–01

मेसर्स लैण्डमार्क रॉयल इंजीनियरिंग (आई) प्राईवेट लिमिटेड (प्रो.– श्री वरूण जैन) को खसरा क्रमांक 1031/1 (पार्ट), 1031/2, 1033 (पार्ट), 1036/1, 1036/3 (पार्ट), 1036/5 (पार्ट), 1036/7, एवं 1036/9, कुल लीज क्षेत्र 1.121 हेक्टेयर, ग्राम–चिरचारीकला, तहसील–छुरिया, जिला–राजनांदगांव में साधारण पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 20,000 टन (10,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.121 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 20,000 टन (10,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
4. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
5. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
6. भू–जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
7. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन

बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

8. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

9. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।

10. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए। ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के बाहर पृथक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।

11. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

12. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।

14. खनिज का परिवहन मेकनेकली कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.6	Following activities at nearby Village- Chircharikala	
			Plantation	0.85
			Total	**0.85**

16. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

17. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

18. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,200 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

19. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022-23 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 300 पौधों का रोपण (कुल 1,500 नग) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।**

20. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ जमा करें।

21. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

22. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

23. लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित/ प्रस्तावित क्रशर पर वेब कैमरा (एक माह का स्टोरेज फेसीलिटी सहित) लगाया जाए।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

26. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से

रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

27. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

28. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

30. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

31. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

32. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

33. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

34. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

35. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

36. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों मे, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

37. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

38. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

39. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

40. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

41. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

42. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

43. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.